कार्यकारी सारांश

उच्चतर शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने और अनुसंधान एवं नवाचारों के लिए मज़बूत आधार प्रदान करने में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) का उच्चतर शिक्षा विभाग (एचईडी) उच्चतर शिक्षा निदेशालय (डीएचई) के माध्यम से और रा.रा.क्षे.दि.स. का प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (टीटीईडी) प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीटीई) के माध्यम से तकनीकी और गैर-तकनीकी उच्चतर शिक्षा का प्रबंधन करते हैं और विश्वविद्यालयों के लिए कार्यान्वयन हेतु नीतियां तैयार करते हैं। वे अपने अधीन कार्यरत विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान भी प्रदान करते हैं।

रा.रा.क्षे.दि.स. के अधिकार क्षेत्र में ग्यारह विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से अप्रैल 2018 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु हमने तीन विश्वविद्यालयों, अर्थात गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू), जो एक संबंधन निकाय है, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) और दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (डीपीएसआरयू) का चयन किया है। डीटीयू और डीपीएसआरयू मुख्य रूप से तकनीकी संस्थान हैं, जब कि जीजीएसआईपीयू सामान्य पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रेणी प्रदान करता है। इन विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और उच्चतर/तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के अन्य नियामक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देशों, विनियमों और परिपत्रों द्वारा संचालित होती हैं।

यह लेखापरीक्षा क्यों की गई?

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के कामकाज पर यह निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई) और प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीटीई) के अनुरोध पर की गई थी।

लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या: (i) रा.रा.क्षे.दि.स. और चयनित विश्वविद्यालयों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने शैक्षणिक कार्यों की योजना बनाई और उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया; (ii) मानव संसाधन और अवसंरचना सुविधाओं का सृजन एवं विकास पर्याप्त और मानदंडों के अनुसार था; (iii) चयनित विश्वविद्यालयों का वित्तीय प्रबंधन कुशल और प्रभावी था; और (iv) आंतरिक नियंत्रण तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था।

हमने क्या पाया?

हमने शैक्षणिक एवं प्रशासनिक मामलों, विश्वविद्यालयों के प्रत्यायन एवं संबद्धता प्रक्रिया, मानव संसाधन प्रबंधन, अवसंरचना सुविधाओं, वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण के क्षेत्र में अनेक मुद्दों पर ध्यान दिया।

डीएचई और डीटीटीई दोनों के पास नागरिक चार्टर और विज़न/मिशन विवरण थे। इन दस्तावेज़ों के अनुसार, डीएचई को उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना था और उच्चतर शिक्षा के लिए व्यापक नीतियां तैयार करनी थीं, जब कि डीटीटीई को औद्योगिक उत्पादन, सेवाओं, उत्पादकता और नवाचार के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति प्रदान करनी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि न तो डीएचई और न ही डीटीटीई ने अपने विज़न/मिशन को पूरा करने के लिए व्यापक नीतियां बनाई थीं। इस प्रकार, दिल्ली में उच्चतर और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थित और सुनिर्धारित नीतियों का अभाव था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा नीतिगत दिशानिर्देशों में परिशोधन और प्रवेश नियामक समिति (एआरसी) तथा राज्य शुल्क नियामक समिति के गठन में विलंब हुआ है। नीतिगत दिशानिर्देश वर्ष 2018-19 तक प्रभावी थे। परंतु इन्हें 2022-23 तक परिशोधित नहीं किया गया। प्रवेश नियामक समिति का गठन 16 वर्षों के विलंब से, अप्रैल 2023 में किया गया।

चयनित विश्वविद्यालयों में अपने-अपने विज़न दस्तावेज़ों में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई दीर्घकालिक या अल्पकालिक योजना विद्यमान नहीं थी। तथापि, डीटीयू ने 2019 में 'कार्यनीतिक योजना 2019-30' नामक अपना प्रथम विज़न दस्तावेज़ तैयार किया, इसमें 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले केवल दीर्घकालिक लक्ष्य शामिल थे और कार्यनीतिक योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने

के प्रयोजन से कोई मध्यम अवधि या वार्षिक योजना नहीं थी। हमने यह भी देखा कि चयनित तीन विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेज यूजीसी और एआईसीटीई विनियमों के तहत अपेक्षित एनएएसी/एनबीए प्रत्यायन के बिना तीन से छह वर्षों तक कार्यरत रहे। जीजीएसआईपीयू के पास 2018 से 2023 तक एनएएसी और एनबीए दोनों प्रत्यायन नहीं थे। डीटीयू ने 2015 से 2019 के बीच एनएएसी प्रत्यायन के बिना और 2018 से 2023 तक एनबीए प्रत्यायन के बिना काम किया। डीपीएसआरयू के पास 2020 से 2023 की अवधि के लिए एनएएसी या एनबीए प्रत्यायन नहीं था।

संबद्ध कॉलेजों में आवश्यक भौतिक और शैक्षणिक अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त मूल्यांकन समिति (जेएसी) निरीक्षण तंत्र के माध्यम से संबद्धता की प्रक्रिया अपर्याप्त पाई गई, क्योंकि चयनित संबद्ध कॉलेजों में जेएसी द्वारा अनुकूल ग्रेडिंग, जेएसी रिपोर्टों की सिफारिशों का पालन न करना, अपर्याप्त छात्र-शिक्षक अनुपात, निर्धारित योग्यता से कम योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं का अभाव जैसे मामले सामने आए। वार्षिक संबद्धता प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में भी विलंब हुआ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीनों विश्वविद्यालय कक्षाओं की कमी, अपर्याप्त अवसंरचना, उपलब्ध अवसंरचना और उपकरणों के गैर-उपयोग आदि से जूझ रहे थे। जीजीएसआईपीयू के द्वारका परिसर में नामांकित छात्रों के प्रति बैठने की क्षमता में 26 *प्रतिशत,* डीटीयू के रोहिणी परिसर में 41 *प्रतिशत* और डीपीएसआरयू में 59 *प्रतिशत* की कमी थी। डीपीएसआरयू में नामांकित 2,800 छात्रों के लिए केवल 1,157 छात्रों के लिए बैठने की क्षमता थी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा।

निधि के प्रेषण, मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता के लिए योजना शुरू करने और छात्रवृत्ति जारी करने में विलंब और दिल्ली उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति कोष (डीएचईएसएफ) एवं दिल्ली ज्ञान विकास प्रतिष्ठान (डीकेडीएफ) के अंतर्गत ₹ 25.59 करोड़ की परिहार्य कर देयता भी देखी गई।

2018-23 के दौरान जीजीएसआईपीयू में 38.77 *प्रतिशत* से 44.84 *प्रतिशत* तक, डीपीएसआरयू में 21.77 *प्रतिशत* से 54.43 *प्रतिशत* तक एवं डीटीयू में 55 *प्रतिशत* से 60 *प्रतिशत* तक शिक्षण कर्मचारियों की भारी कमी रही। 2018-23 की

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान डीटीयू में प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों के तीन-चौथाई पद रिक्त रहे। इन विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षण और तकनीकी कर्मचारियों की भी इसी तरह की कमी देखी गई।

जीजीएसआईपीयू में कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक और डीटीयू में कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियमित पदाधिकारियों के अभाव में परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी या तो अतिरिक्त प्रभार या स्थानापन्न आधार पर कार्यरत थे। हमने भर्ती में विलंब, स्वीकृत पदों के बिना भर्ती और अपात्र व्यक्तियों की नियुक्ति भी देखी।

जीजीएसआईपीयू के प्रबंधन बोर्ड ने 144 शिक्षण पदों और 168 गैर-शिक्षण पदों के सृजन और पहले दो वर्षों यानी 2021-23 में कुल शिक्षण पदों का 50 *प्रतिशत* भरने को मंज़ूरी दी (अगस्त 2021)। कर्मचारियों की कमी के बावजूद, विश्वविद्यालय ने अक्टूबर 2022 में सहायक प्रोफेसरों के केवल 32 पदों पर भर्ती की और दिसंबर 2023 तक शेष स्वीकृत पदों पर भर्ती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अतिरिक्त, डीटीयू जुलाई 2019 में विज्ञापित विभिन्न विषयों में 167 रिक्तियों के प्रति केवल 51 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती ही कर सका, जब कि उसी महीने विज्ञापित सहायक प्रोफेसरों की 87 अन्य रिक्तियों के लिए कोई भर्ती नहीं की गई। वास्तव में, भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में यूजीसी द्वारा निर्धारित छह महीने के समय के प्रति 16 महीने लग गए (नवंबर 2020)। डीटीयू ने भी मार्च 2023 तक इन संवर्गों में भारी कमी का सामना करने के बावजूद प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

यूजीसी ने सिफारिश की थी (जनवरी 2017) कि विश्वविद्यालयों के सभी शैक्षणिक विभागों के पाठ्यक्रमों की छात्रों को रोज़गार-योग्य बनाने के लिए कौशल-समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर तीन वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा और परिशोधन किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीजीएसआईपीयू के विश्वविद्यालय स्कूलों में 62 कार्यक्रमों में से छह पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या पिछले तीन से पांच वर्षों में और तीन पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या पिछले पांच से 11 वर्षों में परिशोधित नहीं की गई। इसी प्रकार, विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों द्वारा

प्रस्तुत कुल 109 कार्यक्रमों में से 51 (अर्थात् 47 *प्रतिशत* पाठ्यक्रम) के पाठ्यक्रम जीजीएसआईपीयू के अध्ययन स्कूल बोर्ड द्वारा परिशोधित नहीं किए गए।

यूजीसी द्वारा जारी छात्रों के अधिकार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, "छात्र, प्रॉस्पेक्टस में शैक्षणिक कैलेंडर में निर्दिष्ट समय पर परीक्षा के आयोजन और परिणामों की घोषणा के हकदार हैं"। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीजीएसआईपीयू के पास परिणामों की घोषणा के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं था और 2018-22 के दौरान (जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा जानकारी प्रदान की गई थी), जीजीएसआईपीयू ने 368 परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए, जिनमें से 199 परीक्षाओं के परिणाम, यानी 54 *प्रतिशत* परिणाम विलंब से घोषित किए गए। 2019-20 में तीन मामलों में, आठ महीने तक का विलंब था। इसी प्रकार, डीपीएसआरयू में परिणामों की घोषणा के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। परिणामों की घोषणा के लिए लगने वाले दिनों की संख्या 2018-19 और 2019-20 के दौरान 200 दिनों से अधिक थी, यद्यपि यह 2022-23 में उल्लेखनीय रूप से कम होकर 34 दिन हो गई।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में एनईपी-2020 के प्रावधानों के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने के लिए "अनुसंधान एवं विकास सेल" की स्थापना हेतु मार्च 2022 के यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, जीजीएसआईपीयू ने अपने अनुसंधान एवं परामर्श निदेशालय (डीआरसी) का नाम बदलकर "अनुसंधान एवं विकास सेल" (आरडीसी) कर दिया और विभिन्न विभागों और संकायों में मौजूदा शोध गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए चार समितियों/परिषद का गठन किया (नवंबर 2022)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुसंधान परिषद ने कोई बैठक नहीं की, और उत्पाद विकास, निगरानी और व्यापारीकरण समितियों ने नवंबर 2022 में केवल एक बैठक की। चारों समितियों/परिषदों में से किसी ने भी कुलपति को कोई शोध गतिविधि प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

भारत सरकार ने उच्चतर शिक्षा में पहुँच, समानता और गुणवत्ता में सुधार हेतु केंद्र प्रायोजित योजना, *राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)* की शुरूआत की (अक्टूबर 2013)। इस योजना को केंद्र और राज्य के समान योगदान से क्रियान्वित किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीएचई, रा.रा.क्षे.दि.स. को इसके लिए ₹ 3.04 करोड़ (सितंबर 2015 में भारत सरकार से ₹ 1.52 करोड़

और अप्रैल 2016 में रा.रा.क्षे.दि.स. से ₹ 1.52 करोड़) की निधि प्राप्त हुई। तथापि, इस योजना को लागू नहीं किया गया और मार्च 2024 तक डीएचई के पास निधि अप्रयुक्त पड़ी रही क्योंकि भारत सरकार और रा.रा.क्षे.दि.स. के बीच अपेक्षित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

डीएचई ने 2015-16 में "दिल्ली उच्चतर शिक्षा एवं कौशल विकास गारंटी योजना" नामक एक योजना भी शुरू की, जिसका उद्देश्य दिल्ली के छात्रों द्वारा दिल्ली में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु लिए गए ऋणों के लिए बैंकों को गारंटी प्रदान करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-23 के दौरान आवेदकों और लाभार्थियों की संख्या में लगातार कमी आई और 2021-22 में यह संख्या नौ और 2022-23 में केवल दो रह गई। ऐसा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं था जिससे यह पता चले कि डीएचई ने योजना की समीक्षा की ताकि इस गिरावट के कारणों का पता लगाया जा सके और छात्रों तक इसकी पहुँच बढ़ाई जा सके तथा योजना का उद्देश्य पूरा हो सके।

मार्च 2008 में, डीटीटीई ने ज्ञान के प्रति समर्पित एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करने, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा के संचालन हेतु नए दृष्टिकोणों को अपनाने और उनका प्रसार करने हेतु एक संस्था के रूप में दिल्ली ज्ञान विकास प्रतिष्ठान (डीकेडीएफ) की स्थापना की। डीकेडीएफ ने उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण से संबंधित आठ परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 2020-22 के दौरान छह विश्वविद्यालयों को ₹ 43.76 करोड़ का अनुदान जारी किया। तथापि, यह पाया गया कि विश्वविद्यालयों ने न तो परियोजनाओं की प्रगति और न ही उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था।

उपमुख्यमंत्री के निर्देश (मई 2021) पर, जीजीएसआईपीयू ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए 5,000 स्वास्थ्य सहायकों को तैयार करने हेतु दो सप्ताह का एक नया प्रमाणपत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया (जून 2021) और डीएचईएटी को प्रेषण हेतु जीजीएसआईपीयू के पास पड़े ₹ 5 करोड़ के उपयोग का प्रस्ताव रखा। अक्टूबर 2023 तक, जीजीएसआईपीयू ने प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए ₹ 2.44 करोड़ का भुगतान कर दिया था, जिससे जीजीएसआईपीयू के पास ₹ 2.56 करोड़ की अव्ययित राशि शेष रह गई। इस प्रकार, समाज के कमज़ोर

वर्गों के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित निधि का अन्य उद्देश्य, अर्थात् उपर्युक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु उपयोग अनियमित था।

लेखापरीक्षा ने विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित तीनों विश्वविद्यालयों में छात्रों की प्रवेश क्षमता का कम उपयोग देखा। जीजीएसआईपीयू में, 2018-23 के दौरान उपलब्ध सीटों का कम उपयोग 14 से 32 *प्रतिशत* तक था। विशेष रूप से 10 कार्यक्रमों में खाली सीटें काफी थीं और 100 *प्रतिशत* तक थीं। जीजीएसआईपीयू से संबद्ध दो संस्थानों ने विश्वविद्यालय के साथ अपनी संबद्धता छोड़ दी (जनवरी 2023) और दूसरे विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता का विकल्प चुना, क्योंकि उनके द्वारा संचालित बी.टेक और बी. आर्क कार्यक्रमों में छात्रों का प्रवेश हर वर्ष कम हो रहा था। डीटीयू में, 2018-23 के दौरान यूजी कार्यक्रमों में रिक्त सीटें आठ से 10 *प्रतिशत* और पीजी कार्यक्रमों में 17 से 32 *प्रतिशत* के बीच थीं। डीपीएसआरयू में, 2018-23 के दौरान रिक्त सीटों की कुल प्रतिशतता 11 से 24 *प्रतिशत* तक थी, जब कि विश्वविद्यालय स्कूलों के नौ कार्यक्रमों में, रिक्ति की प्रतिशतता 42 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* तक थी।

लेखापरीक्षा ने चयनित तीन विश्वविद्यालयों के वित्तीय पहलुओं की जांच की और पाया कि जीजीएसआईपीयू द्वारा अंशदायी भविष्य निधियों का निवेश सरकार द्वारा निर्दिष्ट निवेश पद्धति के अनुरूप नहीं था और अधिशेष निधि के निवेश में विलंब के कारण संभावित ब्याज की हानि हुई। चयनित अधिकांश स्व-वित्तपोषित कॉलेजों ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया है।

हमने पाया कि चयनित विश्वविद्यालयों के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन *सेल* निर्धारित अंतराल पर बैठक नहीं करते थे तथा विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों में कमज़ोरियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा और उनका अनुवर्ती कार्य अपर्याप्त था।

हम क्या सिफारिश करते हैं?

सरकार निम्न कार्य कर सकती है:

- *दिल्ली में उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा पर सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप व्यापक नीतियां तैयार करना।*

विश्वविद्यालय निम्न कार्य कर सकते हैं:

- *अपने विज़न दस्तावेज़ों में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक और वार्षिक योजनाएं तैयार करना और प्राप्ति के स्तर का आकलन करने के लिए समय-समय पर उनकी समीक्षा करना।*
- *अपने अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों के लिए एनएएसी/एनबीए प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करना, संबद्धता प्रदान करने की व्यवस्था को मज़बूत करना और शुल्क की अधिसूचना के लिए समय-सीमा निर्धारित करना।*
- *नूतन विकास/उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों में नियमित परिशोधन करना तथा समय पर परिणाम घोषित करना/उपाधियां प्रदान करना।*
- *समाज और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप परामर्श/शोध परियोजनाएं शुरू करने के लिए रूपरेखा तैयार करना।*
- *प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित महत्वपूर्ण पदों को भरते हुए शिक्षण, गैर-शिक्षण, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करना।*
- *अवसंरचना के निर्माण में समन्वय और निगरानी के लिए उत्तरदायित्व के बिंदू निर्धारित करना, जैसे कि छात्रों के लिए कक्षाएं और छात्रावास, और सृजित परिसंपत्तियों का समय पर उपयोग।*
- *विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों में कमज़ोरियों को कम करने के लिए नियमित रूप से शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा करना।*

****